



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072023-247335
CG-DL-E-14072023-247335

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493]
No. 493]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2023/आषाढ़ 23, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2023/ASHADHA 23, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2023

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/294/19/डीडी/287/2019/बीओडी/570/2020.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार संस्थान के अनुशासन बोर्ड द्वारा सीए. बाला बालाजी एम (सदस्यता संख्या 215450), वरिष्ठ लेखा परीक्षक, अल जाबेर ग्रुप एलएलसी, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, को चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया गया है और उसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियमों के नियम 15(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का एक अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् सीए. बाला बालाजी एम (सदस्यता संख्या 215450) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया और साथ ही केवल 1,00,000/- (एक लाख रुपये) रुपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. बाला बालाजी एम (सदस्यता संख्या 215450) का नाम 14 जुलाई, 2023 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./276/2023-24]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/294/19/DD/287/2019/BOD/570/2020.—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Bala Balaji M (Membership No. 215450), Senior Auditor, Al Jaber Group LLC, Internal Audit Department, ABU DHABI, United Arab Emirates**, guilty of ‘Other Misconduct’ falling within the meaning of Item (2) of Part IV of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 15(1) of the said Rules ordered for removal of the name of **CA. Bala Balaji M (Membership No. 215450)** from the Register of Members for a period of 3(Three) months and also imposed an fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Bala Balaji M (Membership No. 215450)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(Three) months with effect from 14th July, 2023.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./276/2023-24]